आज्ञा से
रीडर
कलेक्टर मनोहरथाना

आज्ञा से
रीडर
कलेक्टर मनोहरथाना

आज्ञा से
रीडर
कलेक्टर मनोहरथाना

मनोहरथाना

अधिवक्ता / वकील
में प्रभुलालको
की संशोधित
/ प्रभुलाल
तलब किया
हो

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड़

उप. / प्रतिवादीगण
नलवाना पेश
त तलबी दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
ना, जिला झालावाड़

उप. / प्रतिवादी पक्षकार

कार्यवाही	हस्ताक्षर/टिप
पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. / प्रतिवादी पक्षकार उकालत रजिस्टर्ड फर्म के तलबाने का एक माह से अधिक का समय हो गया है। इन की तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वादित अधिनियम 31-10-19 पेश हो। उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड़	
11/11/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. वादी पक्षी अन्तिम डीक्री जारी की जा चुकी है। पत्रावली मोसल शुमार होकर काबिल तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो कार नम्बर से कायम हो। उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना	